भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3973

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: असम में बाढ़ से कृषि को नुकसान

3973. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से असम में बाढ़, अत्यधिक वर्षा और अन्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुई फसल क्षति के ब्यौरे के साथ-साथ किसानों को हुए परिणामी वित्तीय नुकसान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव के कारण किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो आकलन करने वाले प्राधिकरण, उसके निष्कर्षों और सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) असम में वर्षा-आधारित खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र की उत्पादकता पर बाढ़ और शुष्क मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) वर्ष 2020 से क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ और कटाव से प्रभावित किसानों के लिए प्रदान किए गए मुआवजे, फसल बीमा और आपदा राहत तंत्र का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): असम राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार**,** वर्ष **2020-21** से **2025-26** के दौरान असम में जल-मौसम संबंधी आपदा के कारण फसल क्षेत्र में हुए नुकसान का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	बाढ़ के कारण फसल क्षेत्र का नुकसान (हेक्टेयर में)	तूफान/ओलावृष्टि में फसल क्षेत्र का नुकसान (हेक्टेयर में)
2020-21	1,88,087.38	904.5
2021-22	19,635.62	लागू नहीं
2022-23	2,46,000	242.73
2023-24	21,000	2,410.153
2024-25	49,580.43	11.04
2025-26	7,958.12	22.6

(ख) एवं (ग): केंद्रीय जल आयोग की 1986 से 2022 तक के उपग्रह इमेजरी डेटा पर आधारित "भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का आकलन, 2024" रिपोर्ट के अनुसार, असम में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2.477 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 2.110 मिलियन हेक्टेयर है।

(घ): भूमि उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार, असम में शुद्ध असिंचित/वर्षा आधारित क्षेत्र 2287000 हेक्टेयर है। असम सहित पूरे देश में वर्षों से कृषि फसलों की उत्पादकता परिवर्तित होती रही है। कृषि उत्पादकता कई कारकों जैसे मृदा की स्थिति, मौसम, वर्षा और तापमान की स्थिति, सिंचाई का स्तर, भूमि का आकार, उपयोग किए

जा रहे बीजों के प्रकार, खाद/उर्वरक का उपयोग, कृषि पद्धतियाँ आदि से प्रभावित होती हैं। ये कारक फसलों की उत्पादकता में अंतर-राज्यीय भिन्नता में योगदान करते हैं।

(ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं के दौरान जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तुत ज्ञापन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय मुआवजे के रूप में न होकर सहायता राहत के रूप में होती है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान असम को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटन, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है (करोड़ रुपये में)	एसडीआरएफ में केंद्र सरकार का जारी हिस्सा (रुपये करोड़ में)	एनडीआरएफ से राहत राशि (सभी आपदाओं के लिए) (रुपये करोड़ में)
1	2020-21	686.40	617.60	44.37
2	2021-22	686.40	617.60	-
3	2022-23	720.80	648.80	250.00
4	2023-24	756.80	680.80	-
5	2024-25	795.20	716.00	29.02
	कुल	**3645.6**	**3280.8**	**323.39**

भारत सरकार ने 2021-26 के दौरान बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी उपायों, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव रोधी उपायों आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित "बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" लागू किया है। असम में बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कुल 111 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनसे लगभग 7.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिली है और लगभग 17.45 मिलियन आबादी को बाढ़ से बचाया गया है। मार्च 2025 तक केंद्र सरकार की ओर से असम को 1582.54 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। असम राज्य ने 2016 में इसकी शुरुआत से ही इस योजना को लागू करने का विकल्प चुना है। पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25 तक) के दौरान असम में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित किसान आवेदनों का वर्षवार विवरण (31.12.2025 तक) इस प्रकार है:

वर्ष	**भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)**	**लाभार्थी किसान आवेदनों की संख्या (लाख में)**
2020-21	188.04	3.07
2021-22	256.41	2.89
2022-23	20.09	0.26
2023-24	62.83	1.02
2024-25	90.47	1.38
